

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)
क्रमांक. एफ-12(23)/निजभूस/सू.अधि./2012/2360-2440 दिनांक: 13-6-12

कार्यालय-आदेश

प्रमुख शासन सचिव गृह (ग्रुप-6) विभाग के कार्यालय आदेश क्रमांक प.3(25)गृह-6/2006 जयपुर दिनांक 03.05.2007 के द्वारा इस विभाग के लिए निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यान विभाग को अपीलीय अधिकारी, नियुक्त कर रखा है।


अतः इस प्रकाश में निदेशालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 8016-8091 दिनांक 11.10.11 एवं 901-78 दिनांक 16.03.12 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।


(प्रमिला सुराणा)
निदेशक

क्रमांक. एफ-12(23)/निजभूस/सू.अधि./2012/2360-2440 दिनांक: 13-6-12
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी / संयुक्त निदेशक प्रशासन/एम.आई.ई.एस, निदेशालय, जयपुर।
6. समस्त उप निदेशक, निदेशालय, जयपुर।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....।
8. समस्त परियोजना प्रबन्धक एवं अधिशाषी अभियन्ता (भू-संसाधन), जिला परिषद.....।

9. ए.सी.पी. निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेब साईट पर डालने की कार्यवाही करे।


(प्रमिला सुराणा)
निदेशक